राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17615/2024

सुरेन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री राम निवास बिश्नोई, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी 29, सुभाष कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के पीछे, नागौर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission), पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली नेशनल हाईवे 62, सुमेरपुर रोड, रामासिया, हेमावास, पाली - 306401।

----प्रत्यर्थी

संलग्न

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17854/2024

अभिषेक सिंह पुत्र दिनेश सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी पिथास, कुरडाया, जिला नागौर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17883/2024

वेदांग शर्मा पुत्र दीपक शर्मा, आयु लगभग 20 वर्ष, 304, स्काईवे-2, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17899/2024

अस्मित पुत्र श्री महेंद्र कुमार, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी मांधा भीम सिंह, जयपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 18, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17911/2024

मोहित कुमार डोडियार पुत्र श्री रमन लाल डोडियार, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी नहरपुरा, बांसवाड़ा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली नेशनल हाईवे 62, सुमेरपुर रोड, रामासिया, हेमावास, पाली - 306401।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17915/2024

चिराग भूरिया पुत्र श्री देवीसिंह भूरिया, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 03, दयानंद मार्ग कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली नेशनल हाईवे 62, सुमेरपुर रोड, रामासिया, हेमावास, पाली - 306401।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17918/2024

प्रिंस माइडा पुत्र श्री प्रभुलाल माइडा, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी भामेडी, पार्थिपुरा, घाटोल, बांसवाड़ा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 18, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली नेशनल हाईवे 62, सुमेरपुर रोड, रामासिया, हेमावास, पाली - 306401।

----प्रत्यर्थी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17920/2024

रोहित डोडियार पुत्र श्री मोती लाल, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी सामरिया, बांसवाड़ा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज - 12, नई दिल्ली - 110077, भारत।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302023, भारत।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली नेशनल हाईवे 62, सुमेरपुर रोड, रामासिया, हेमावास, पाली - 306401।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री भावित शर्मा। श्री हुकम सिंह।
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से	:	भारत के उप सॉलिसिटर जनरल श्री मुकेश राजपुरोहित के लिए सुश्री अदिति शर्मा। श्री परबत सिंह, ए.जी.सी. श्री महेंद्र विश्नोई।

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

<u>आदेश</u>

रिपोर्ट किए जाने योग्य

18/02/2025

पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना गया।

याचिकाओं के वर्तमान समूह में तथ्यों और कानून के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इसे इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है। संक्षेप में, वर्तमान समूह की रिट याचिकाओं में शामिल विवाद का फैसला करने के लिए **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17615/2024 (सुरेन्द्र बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य व अन्य)** में उल्लिखित तथ्यों पर विचार किया जाता है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर में प्रवेश प्राप्त किया, जहाँ उसने वर्ष 2023 के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। जब याचिकाकर्ता प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में भाग ले रहा था, उसे डेंगू का पता चला और इस कारण से, वह अपनी कक्षाओं में भाग नहीं ले सका। बीमारी से उबरने के बाद, उसने नियमित रूप से कॉलेज में भाग लिया, हालांकि, उसे एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने अपनी कक्षाओं में भाग लेना जारी रखा और जब उसे पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, तो उसने वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि बीमारी और अन्य संभाव्य कारणों से याचिकाकर्ता की उपस्थिति कम थी, इसलिए उसे पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता के प्रवेश से पहले मौजूद नीति में उपस्थिति की कमी को पूरा करने के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की परिकल्पना की गई थी और चूंकि, याचिकाकर्ता के प्रवेश के बाद वह नीति बंद कर दी गई थी और प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार की गई नई नीति में उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की ऐसी व्यवस्था प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की आवश्यकता थी। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता की कोई गलती न होने के कारण, उसे एक वर्ष का नुकसान उठाना पड़ा है। वह आगे कहते हैं कि इस 2023 की नीति को भी बाद में वापस ले लिया गया था। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि वर्ष 2024 में एक नई नीति लाई गई, जिसमें उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की परिकल्पना भी की गई थी। वह कहते हैं कि यह केवल याचिकाकर्ता के बुरे भाग्य के कारण है कि उसे उपचारात्मक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए वह अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपनी

उपस्थिति की कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को एक वर्ष का नुकसान हुआ है। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि समान स्थिति वाले एक उम्मीदवार द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले व्यक्ति को दूसरे वर्ष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की परीक्षा के साथ प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ता को प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. परीक्षा के साथ दूसरे वर्ष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील कहते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता अपनी उपस्थिति की कमी के कारण मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए उसे पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि चूंकि प्रासंगिक समय में लागू नीति में उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की परिकल्पना नहीं की गई थी, इसलिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित न करने में प्रत्यर्थियों में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। एम.बी.बी.एस. छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के योग्य होने के लिए सैद्धांतिक में 75% और प्रायोगिक और नैदानिक सत्र में 80% उपस्थिति पूरी करना एक पूर्व शर्त है। चूंकि, याचिकाकर्ता ने इसे पूरा नहीं किया है, इसलिए उसे एम.बी.बी.एस. की प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने से सही ढंग से वंचित कर दिया गया है। विद्वान वकील आगे कहते हैं कि याचिकाकर्ता का मामला तन्मय कुमार के मामले से अलग है, क्योंकि तन्मय कुमार के मामले में, उसकी उपस्थिति केवल एक विषय में कम थी, इसलिए समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ता तन्मय कुमार को अपनी प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ दूसरे वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की उपस्थिति सभी विषयों में सैद्धांतिक में 75% और प्रायोगिक/नैदानिक सत्रों में 80% से कम है, इसलिए वर्तमान मामले में तन्मय कुमार के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थगन याचिका को भी एक समन्वय पीठ ने दिनांक 22.10.2024 के अपने आदेश से खारिज कर दिया है, इसलिए इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की परीक्षा करते समय प्रथम वर्ष (पूरक) परीक्षा, 2024 में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मैंने बार में किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

यह सच है कि याचिकाकर्ता को उत्कृष्टता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2023 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम करते समय, याचिकाकर्ता को डेंगू से पीड़ित होने के कारण अपनी कक्षाओं में भाग लेने से रोका गया था। इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों को भी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपनी कक्षाओं में भाग लेने से रोका गया था। एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, एक छात्र को सिद्धांत में 75% और प्रायोगिक/नैदानिक सत्रों में 80% उपस्थिति की आवश्यकता होती है। सत्यतः स्वीकार्य है, कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रायोगिक और सिद्धांत में अपेक्षित संख्या में कक्षाओं में भाग नहीं ले सका, इसलिए उसे एम.बी.बी.एस. की प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। चूंकि उस प्रासंगिक समय में उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए, वर्तमान मामले में उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं।

इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एम.बी.बी.एस. परीक्षा में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यदि किसी छात्र ने सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों में अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त नहीं की है, तो उन्हें पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना, विशेष रूप से दूसरे वर्ष की परीक्षा के लिए, हानिकारक होगा। एम.बी.बी.एस. की डिग्री उन लोगों के लिए अभिप्रेत है जो अंततः मनुष्यों का इलाज करेंगे, जिससे यह महत्वपूर्ण महत्व का बन जाता है। आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय ने ध्यान में रखा है कि याचिकाकर्ता एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहा है और, डिग्री प्राप्त करने पर, एक चिकित्सक के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य होगा। चिकित्सा शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि यह सीधे बड़े पैमाने पर जनता को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। चिकित्सा शिक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु उपस्थिति का सख्त पालन आवश्यक है कि छात्र सक्षम व्यवसायी बनने के लिए ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों। इस संबंध में, न्यायालय याचिकाकर्ता की भविष्य के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में भूमिका को पहचानता है और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है जो उन पर समुदाय की भलाई को प्रभावित करने में होगी। न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक राष्ट्र को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए, खासकर चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में, जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक समाज जो व्यापक अक्षमता की अनुमति देता है वह पनप नहीं सकता है,

और इसलिए, शैक्षिक मानकों को निम्न स्तर तक खराब होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चूंकि, याचिकाकर्ता ने सैद्धांतिक और प्रायोगिक के लिए अपेक्षित संख्या में उपस्थिति पूरी नहीं की है और याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन को भी इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 22.10.2024 के अपने आदेश से खारिज कर दिया है, इसलिए इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती हैं।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(विनीत कुमार माथुर), जे.

68-75 अनिल सिंह/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़